इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021—फाल्गुन 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-48-2019-1-पांच(09).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-48-2019-1-पांच(31), दिनांक 04 मई 2020 के प्रावधानों का 01 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक के बीच की अवधि में अनुपालन नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत् देय दंड की राशि को माफ करती है, यह इस शर्त के अधीन है कि उक्त व्यक्ति 01 अप्रैल 2021 से उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन करता है.

2. इस अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर 2020 से लागू मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-48-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-48-2019-1-पांच(09), दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव

Bhopal, the 23rd February 2021

No. F A 3-48-2019-1-V(09).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as ths said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under Section 125 of the said Act for non-compliance of the provisions of this department's notification No. F A 3-48-2019-1-V(31), dated 4th May 2020, between the period from the 01st day of December 2020 to the 31st day of March 2021, subject to the condition that the said person complies with the provisions of the said notification from the 01st day of April 2021.

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 29th day of November, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.